

लोक सुनवाई का वृत्त

मेसर्स प्रतीमा देवी द्वारा गया जिला के अंचल-टेकारी, गया मोरहर-18 बालू घाट, ग्राम-शेरपुर और चकमथ, मोरहर नदी का क्षेत्रफल-19.0 हेक्टेयर बालू खनन करने हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत दिनांक-**26.09.2020** को अपराह्न 02.30 बजे प्रखण्ड कार्यालय, टेकारी, जिला-गया के सभागार में लोक सुनवाई आयोजित किया गया।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत राज्य पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0.ओ0.आर0. (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या- SIA/1(a)/1040/2020, दिनांक-21.07.2020 के आलोक में श्री सुमन कुमार, उप-विकास आयुक्त, गया की अध्यक्षता में की गयी।
उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

उक्त लोक सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, प्रभात खबर, हिन्दुस्तान टाईम्स एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक- 23.08.2020 द्वारा प्रकाशित की गयी है (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक सुनवाई के दौरान श्री ए. के. गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, गया द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों एवं सभी सम्बंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया।

इस परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार डा० जतीन श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना अर्ध यांत्रिक (semi mechanized) आधारित है अतः दुलाई के लिए मशीनों का उपयोग किया जाना अनुमोदित है। खनन प्रक्रिया केवल 3 मीटर तक की गहराई या भू-गर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा। इस प्रकार भू-गर्भीय जल का खतरा शून्य रहता है। किसी प्रकार की विस्फोटक की आवश्यकता नहीं है। परियोजना का कुल लागत का 2 प्रतिशत कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व मद में रखा गया है जो बिहार सरकार द्वारा अनुमान्य है। परियोजना में कुल 25 कामगारों की आवश्यकता होगी जिनकी भर्ती के लिए स्थानीय निवासियों को वरीयता दी जायेगी। खनन कार्य रात्रि में पूर्ण रूप से बंद रहेगा। बालू दुलाई के लिए वाहनों का संचालन राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि खादानों से अस्थायी मार्गों द्वारा जुड़ा है। इन मार्गों का रख-रखाव भी परियोजना प्रस्ताव सुरक्षित करेंगे। खनन कार्य पूर्ण रूप से अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण के मानकों को अनुरूप बनाये रखने के लिए ग्रामीण इलाकों तथा खनन क्षेत्र के मध्य सघन छत्र वाले पौधों का रोपण किया जायेगा। रात्रि में हॉर्न का प्रयोग न्यूनतम स्तर पर किया जायेगा।

खनन कार्य एवं खनिज परिवहन में धूल-कणों का उत्सर्जन होता है जिसके नियंत्रण के लिए तीन बार जल का छिड़काव किया जायेगा तथा खनिज का परिवहन तिरपाल से ढक कर ही वाहनों का संचालन किया जायेगा। खनन क्षेत्र में उन्हीं वाहनों को प्रवेश मिलेगा जो पूरी तरह प्रदूषण मुक्त होंगे अर्थात् पी.यू.सी. प्रमाणित होंगे। सड़क मार्गों की मरम्मत नियमित रूप की जायेगी तथा कोई भी अस्थायी मार्ग बनाने के लिए ग्रामीणों व किसान भाईयों की सहमति से ही होगा। सड़क मार्गों पर वाहनों गति-सीमा पूर्व निर्धारित रहेगी जिसका उल्लंघन करने वाहन चालकों व वाहन का रिकॉर्ड रखा जायेगा व ऐसे वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। पर्यावरण प्रबंधन के सुचारू रूप से पालन के लिए खनन क्षेत्र के पास पर्यावरण

प्रबंधन प्रकोष्ठ बनाया जायेगा तथा समय—समय पर क्षेत्रीय निवासियों से परामर्श लिया जायेगा। खनन परियोजना के क्रियान्वयन के समय सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे मार्गों खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगायी जायेगे तथा इनपर आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के मोबाईल नम्बर उल्लेखित होंगे।

उप—विकास आयुक्त, गया द्वारा अवगत कराया गया कि जिला गया में पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के बाद बालू खनन का कार्य प्रारंभ होगा। प्रत्येक नियमावली का अनुपालन किया जायेगा तथा अनुपालन न करने पर जुर्माना किया जायेगा। धूल—कण कम करने के लिए इसकी व्यवस्था सुचारू रूप से कराया जायेगा। बालू की ढुलाई में लगे वाहनों को तिरपाल से ढककर ही आवागमन किया जायेगा। स्थानीय लोग बेहतर जानते हैं, वे अपनी बात रखें। इस कार्य में स्थानीय जनता का सहयोग/सुझाव/मंतव्य आवश्यक है।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य इस प्रकार हैं:-

1. श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, पिता—श्री किशोर सिंह, ग्राम—टेकारी, जिला—गया द्वारा पूछा गया कि बालू ढुलाई से सड़क क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसके लिए क्या प्रावधान है।

उत्तर— पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि परियोजना के पट्टेधारक द्वारा सड़कों का रख—रखाव किया जायेगा।

2. श्री चंदन कुमार, पिता—श्री विमलेश शर्मा, ग्राम—देवधर, टेकारी, जिला—गया द्वारा पूछा गया कि स्थानीय लोंगों के लिए कोई शिक्षा का भी प्रावधान है या नहीं।

उत्तर— पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत व्यवसायिक प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। लोगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण कराया जायेगा।

3. श्री नीरज कुमार, पिता—श्री राजेन्द्र प्रसाद, ग्राम—झुमरशन, टेकारी, जिला—गया द्वारा पूछा गया कि बालू परिवहन के दौरान बहुत धूल उड़ता है, इसके लिए क्या उपाय है।

उत्तर— पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया कि धूलकण को रोकने के लिए बालू ढुलाई वाले रास्तों पर दिन में तीन बार जल छिड़काव किया जायेगा तथा बालू लदे वाहनों को तिरपाल से ढककर ले जाया जायेगा।

4. श्री पवन कुमार सिंह, पिता—श्री गनौरी सिंह, ग्राम—बेलहरिया, टेकारी, गया द्वारा पूछा गया कि हमारे रैयती खेत में बालू आ गया है। बालू हटाने के लिए क्या करना होगा।

उत्तर— पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि इसके लिए जिलाधिकारी, गया के पास आवेदन देकर तथा सहमति पत्र प्राप्त कर विभागीय प्रक्रिया पूरा करने के बाद खेतों से बालू हटाया जा सकता है।

क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिरामपुर्निमा पर्षद द्वारा बताया गया कि बालू ढुलाई का रास्ता (सड़क) गाँव या आबादी से होकर नहीं जाना चाहिए नहीं तो आम जनता को काफी दिक्कत होता है। साथ—ही—साथ

वैकल्पिक सङ्क का भी पहचान किया जाना चाहिए ताकि वाहनों की संख्या एवं परिवहन भार पर नियंत्रण रखा जा सके। अगर इस परियोजना क्षेत्र में पूर्व में भी खनन हुआ है तो Sand Reserve का ब्योरा Final EIA में उपलब्ध कराया जाए। उनके द्वारा पूछा गया कि पट्टाधारक द्वारा कितना प्रतिशत नदी का खनन क्षेत्र का हिस्सा में खनन नहीं किया जायेगा।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू की ढुलाई गाँव/आबादी के बीच नहीं की जायेगी। वैकल्पिक सङ्क की व्यवस्था की जायेगी। आम जनता को दिक्कत नहीं हो इसलिए विद्यालय आने-जाने के समय या भीड़-भाड़ होने के दौरान बालू की ढुलाई नहीं की जायेगी। उन्होंने बताया कि नदी के खनन क्षेत्र के 40 (चालीस) प्रतिशत हिस्सा में खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि बालू उत्खनन का कार्य वैज्ञानिक तरीके से करायी जायेगी। ट्रक से बालू ले जाते समय सङ्क पर जल छिड़काव करेंगे एवं बालू तिरपाल से ढक कर ले जायेंगे। उन्होंने उम्मीद जतायी कि पट्टाधारक द्वारा इन बातों का ध्यान रखा जायेगा, साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य करने एवं विभागीय निदेश का अनुपालन करने का सुझाव दिया गया। साथ ही खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं इसका देख रेख पट्टाधारी द्वारा किया जायेगा। खनन नियमावली का उल्लंघन पाये जाने पर लीज धारक के विरुद्ध विधिसंगत कार्रवाई की जायेगी।

अध्यक्ष द्वारा लोक सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता द्वारा सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

४/१५
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बिहार प्रदेश नियंत्रण पर्षद, गया।

२८/१२०
उप-विकास आयुक्त
गया

उपस्थिति सूची

मेरी प्रतीमा देवी, बाराचट्टी द्वारा गया जिलान्तर्गत अंचल-टेकारी के मोरहर नदी पर मोरहर घाट-18 से बालू खनन करने हेतु प्रखण्ड कार्यालय, टेकारी, जिला-गया में आयोजित लोक सुनवाई दिनांक 26.09.2020 (शनिवार) को 02:30 बजे अपराह्न में उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र० सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	सुनील कुमार प्रधान निकास आमुन्ड-	गोपीनाथ नगर पट्टा ५५०	SD 26/9/20
2.	माशीष कुमार कुमार	बिहार मुख्यमंत्री परिषद् पट्टा ५५०	मी. १ 26-९-२०
3.	श्रीमती नीति सिंहलोहोली अधिकारी	बिहार मुख्यमंत्री परिषद् पट्टा	Neeti 26-9-20
4.	Dr. Datin Kr. Sivardana Constituent	Cucknow - 226012 UP	Datin
5.	Er. Nitish Kumar	Patna	Nitish Kumar
6.	Jyotish Chandra	Patna.	Jyotish Chandra
7.	Ramfet kum	Gaya	Ramfet
8.	रामेश शर्मा	पट्टा ५५०	रामेश शर्मा
9.	बालेश्वर माधव	पट्टा	लक्ष्मी देवी
10.	निर्मला नारा शर्मा	पट्टा ५५०	निर्मला नारा शर्मा
11.	अमितलेश चंद्र	हारपुर	अमितलेश चंद्र
12.	श्रीलक्ष्मा दास	लाला	लक्ष्मा दास
13.	लक्ष्मी बाई	लक्ष्मी बाई	लक्ष्मी
14.	दीपक शर्मा	1231219443211	दीपक शर्मा

15.	Anshu Kumar	Belharia	Anshu Kumar
16.	SHIVAM R.E	Lokesh	SHIVAM R.E
17.	SUVY R.S	Amesha	SUVY R.S
18.	AJAY SINGH	Shivam	AJAY SINGH
19.	Shadeeb	Akash	Shadeeb
20.	MD. HOSEIN ALAM	Tekari	MD. HOSEIN ALAM
21.	DILSHAD	Belharia	DILSHAD
22.	Shahid	Belharia	Shahid
23.	Asif Ali	Belharia	Asif Ali
24.	g.c.d	Zobedi	g.c.d
25.	Ratis. gml	Amesha	Ratis.
26.	Shafiqul	Amesha	Shafiqul
27.	Ab. Ahsan. Ram	Amesha	Ab. Ahsan. Ram
28.	MD MAHTAR ALAM	Belharia	MD. MAHTAR ALAM
29.	Enggonic	Amesha	Enggonic
30.	Suman Kumar	croppin	Suman Kumar
31.	PALIAN KUMAR SINGH	Belharia	PP
32.	Shanti Singh	Belharia	Shanti Singh
33.	Block Office	Block Office	Block Office
34.			